



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01092020-221480
CG-DL-E-01092020-221480

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 221]
No. 221]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 1, 2020/भाद्र 10, 1942
NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 1, 2020/BHADRA 10, 1942

लोक सभा सचिवालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 अगस्त, 2020

सं. 37/1/(IV)/2020/टी.—राष्ट्रपति का दिनांक 31 अगस्त, 2020 का निम्नलिखित आदेश सामान्य जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :-

“संविधान के अनुच्छेद 85 के खण्ड (1) द्वारा मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, एतद्वारा लोक सभा को सोमवार, 14 सितम्बर, 2020 को पूर्वाह्न 9.00 बजे नई दिल्ली में अधिवेशन के लिए आमंत्रित करता हूँ।

31 अगस्त, 2020

राम नाथ कोविन्द
राष्ट्रपति।”

स्नेहलता श्रीवास्तव, महासचिव

LOK SABHA SECRETARIAT**NOTIFICATION**

New Delhi, the 31st August, 2020

No. 37/1/(IV)/2020/T.—The following order by the President dated the 31st August, 2020 is published for general information: -

“In exercise of the powers conferred upon me by clause (1) of article 85 of the Constitution, I hereby summon the Lok Sabha to meet at New Delhi on Monday, the 14th September, 2020 at 9.00 A.M.

August 31, 2020

RAM NATH KOVIND
PRESIDENT”

SNEHLATA SHRIVASTAVA, Secretary General